भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 4195
उत्तर देने की तारीख- 19/08/2025

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति

4195. डॉ. बायरेड्डी शबरी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अनुरोधित, आवंटित, जारी और उपयोग की गई धनराशि का योजना और इन्टरवेंशन वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार कितने राज्य सलाहकार बोर्डों और विशेष न्यायालयों ने विशेष लोक अभियोजकों का गठन और नियुक्ति की है और केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनी स्थापना के बाद से आयोजित बैठकों की संख्या और उनकी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार संचालन संबंधी स्थिति क्या है;

(ग) दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अधिनियमन के बाद से सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों पर बेंचमार्क दिव्यांगता वाले कितने दिव्यांगजनों को नियुक्त और पदोन्नत किया गया है; और

(घ) क्या मंत्रालय ने हाल के वर्षों में यूएनसीआरपीडी समिति को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग केवल केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है और पिछले पांच वर्षों के दौरान दिव्यांगजनों के लिए विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों का विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत राज्य सलाहकार बोर्ड गठित करने, विशेष न्यायालय स्थापित करने तथा विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का विवरण

अनुबंध-II में दिया गया है। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की अब तक सात बैठकें हो चुकी हैं; पिछली (7वीं) बैठक दिनांक 15.12.2024 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ग): दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 के अनुसार, बेंचमार्क दिव्यांगता की विनिर्दिष्ट श्रेणियों के लिए पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग संख्या में कुल रिक्तियों के विरुद्ध सरकारी रोजगार में कम से कम 4% आरक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा, इस धारा के परंतुक के अनुसार, पदोन्नति में आरक्षण समय-समय पर समुचित सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार होगा। रिक्तियां होना और बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों सहित उन्हें भरना, एक सतत प्रक्रिया है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों की पहचान करने, ऐसी रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, ऐसी रिक्तियों के कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने तथा विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति का गठन करें।

(घ): भारत अक्टूबर 2007 से दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (यूएनसीआरपीडी) का एक पक्षकार है। यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद 35 के अनुसरण में, भारत ने वर्ष 2015 में सीआरपीडी पर संयुक्त राष्ट्र समिति के समक्ष भारत में दिव्यांगता की स्थिति पर देश की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। संयुक्त राष्ट्र समिति द्वारा सितंबर, 2019 में भारत देश की प्रथम रिपोर्ट पर विचार किया गया था।

****

अनुबंध-I

योजनाओं के अंतर्गत पिछले पांच वर्षों का बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान (आरई) और वास्तविक व्यय (एई)

(करोड़ रुपये में)

		2020-21			2021-22			2022-23			2023-24			2024-25		
	योजनाएं	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
1	सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद / फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता की योजना	230.00	195.00	189.13	220.00	180.00	198.70	235.00	230.00	242.29	245.00	305.00	290.60	315.00	350.00	348.81
2	दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना	130.00	85.00	83.18	125.00	105.00	100.90	125.00	105.00	114.69	130.00	130.00	129.98	165.00	139.00	139.39
3	दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	125.00	100.00	97.40	125.00	110.00	120.32	105.00	145.00	142.00	155.00	155.00	130.07	142.68	80.00	89.71
4	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना	251.50	122.89	103.43	209.77	147.31	108.44	240.39	100.00	65.59	150.00	67.00	76.79	135.33	111.00	44.16

अनुबंध- II

"दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति" के संबंध में दिनांक 19/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3852 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य सलाहकार बोर्डों, विशेष न्यायालयों और विशेष लोक अभियोजकों का विवरण

क्र. सं.	राज्य	राज्य सलाहकार बोर्ड	विशेष न्यायालय	विशेष लोक अभियोजक
1.	आंध्र प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
2.	अरुणाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
3.	असम	हाँ	हाँ	हाँ
4.	बिहार	हाँ	हाँ	हाँ
5.	छत्तीसगढ	हाँ	हाँ	हाँ
6.	गोवा	हाँ	हाँ	हाँ
7.	गुजरात	हाँ	हाँ	हाँ
8.	हरियाणा	हाँ	हाँ	हाँ
9.	हिमाचल प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
10.	झारखंड	हाँ	हाँ	हाँ
11.	कर्नाटक	हाँ	हाँ	हाँ
12.	केरल	हाँ	हाँ	हाँ
13	मध्य प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
14.	महाराष्ट्र	हाँ	हाँ	हाँ
15.	मणिपुर	हाँ	हाँ	हाँ
16.	मेघालय	हाँ	हाँ	हाँ
17.	मिजोरम	हाँ	हाँ	हाँ
18.	नागालैंड	हाँ	हाँ	हाँ
19.	ओडिशा	हाँ	हाँ	हाँ
20.	पंजाब	हाँ	हाँ	हाँ
21.	राजस्थान	हाँ	हाँ	हाँ
22.	सिक्किम	हाँ	हाँ	हाँ
23.	तमिलनाडु	हाँ	हाँ	हाँ
24.	तेलंगाना	हाँ	हाँ	हाँ
25.	त्रिपुरा	हाँ	हाँ	हाँ
26.	उत्तराखंड	हाँ	हाँ	हाँ
27.	उत्तर प्रदेश	हाँ	हाँ	हाँ
28.	पश्चिम बंगाल	हाँ	प्रक्रियाधीन	प्रक्रियाधीन
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	हाँ	हाँ	हाँ
30.	चंडीगढ़	हाँ	हाँ	हाँ
31.	दादर व नगर हवेली और दमन व दीव	हाँ	हाँ	हाँ
32.	दिल्ली	हाँ	हाँ	हाँ
33.	जम्मू कश्मीर	हाँ	हाँ	हाँ
34.	लद्दाख	प्रक्रियाधीन	हाँ	हाँ
35.	लक्षद्वीप	हाँ	हाँ	हाँ
36.	पुदुचेरी	हाँ	हाँ	हाँ